मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

शुक्रवार, दिनांक 9 दिसम्बर, 2016 (अग्रहायण 18, शक सम्वत् 1938)

विधान सभा पूर्वाह्न 11:02 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 17 प्रश्नों (प्रश्न संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 एवं 17) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये. प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 188 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 204 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

2. अध्यक्षीय व्यवस्था

कुपोषण पर स्थगन प्रस्ताव या नियम139 के अंतर्गत चर्चा की मांग एवं औचित्य प्रश्न विषयक

श्री बाला बच्चन, प्रभारी नेता प्रतिपक्ष एवं श्री रामनिवास रावत, सदस्य द्वारा यह विषय उठाया गया कि – कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में कुपोषण पर चर्चा करना तय हुआ था लेकिन चर्चा नहीं हो पाई है. कुपोषण के मुद्दे पर नियम 139 पर चर्चा और प्रस्ताव की सूचना दी है. अध्यक्ष महोदय ने माननीय सदस्यों को सूचित किया कि मैंने आपको अध्यक्षीय कक्ष में चर्चा हेतु आमंत्रित किया था कि इसको चर्चा में लेंगे, लेकिन आप चर्चा करने नहीं आए. इस दौरान श्री रामनिवास रावत, सदस्य द्वारा आसंदी के प्रति आरोपात्मक टिप्पणी की गई.

डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री ने औचित्य का प्रश्न उठाया कि कल श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा, विपक्ष के वरिष्ठ सदस्य ने कहा था कि श्री रामनिवास रावत, सदस्य द्वारा उठाये गये मुद्दे को अगले सत्र में ले लें. सदन में जो भी विषय इन्होंने उठाये थे, उन पर पूरी चर्चा और शासन के उत्तर के पूर्व ही विपक्ष के सदस्यगण सदन से बहिर्गमन कर गए.

अध्यक्ष महोदय ने संसदीय कार्य मंत्री की बात से सहमति जताते हुए श्री रामनिवास रावत, सदस्य को समझाईश दी गई कि – "कृपया अनर्गल आरोप न लगाए. जो बात संसदीय कार्य मंत्री ने कहीं, वह सारे सदन ने सुनी, लेकिन मैं कोई आक्षेप नहीं लगाना चाहता, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा, कल जब श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा आपके मुद्दे को अगले सत्र में लेने की बात कह रहे थे तब आप मौन रहे. मैंने आपसे यह भी कहा था कि आप बात करने के लिए कक्ष में आ जाइये, लेकिन आप जानबूझकर नहीं आए. मैंने आपको नियम भी बताया था कि इस नियम के अंतर्गत चर्चा में लेने को तैयार है तब भी आप नहीं आए, सदन में आकर आरोप लगाना उचित नहीं है. यह रिकार्ड में नहीं आएगा." आज फिर वही विषय उठा रहे है, यह उचित नहीं है.

3. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि नियम 267-क अधीन लंबित सूचनाओं में से 36 सूचनाएं नियम 267-क (2) को शिथिल कर आज सदन में लिये जाने की अनुज्ञा प्रदान की है यह सूचनाएं संबंधित सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जावेगी. इन सभी सूचनाओं को उत्तर के लिए संबंधित विभाग को भेजा जायेगा. तद्नुसार -

(1) श्री आरिफ अकील, सदस्य की मिलावटखोरों से खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री वर्मा की मिली भगत होने,
(2) श्री सुखेन्द्र सिंह, सदस्य की मऊगंज अंतर्गत ग्राम धुरहटा का सिंचित की जगह असिंचित रकबा बनाकर बीमा करने
(3) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य की राजमार्ग क्र.-2 भिण्ड, मिहोना, गोपालपुरा मार्ग की मरम्मत नहीं किये जाने,
(4) श्री विजय सिंह सोलंकी, सदस्य की खरगौन जल संसाधन विभाग के कार्यपालन यंत्री द्वारा मनमानी करने,
(5) श्री सुंदरलाल तिवारी, सदस्य की रीवा की गुढ़ तहसील में मुआवजों का वितरण न किये जाने,
(6) श्री दिलीप सिंह शेखावत, सदस्य की नागदा में संचालित उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों को असामयिक मृत्यु का मुआवजा कम दिये जाने,
(7) श्री हजारीलाल दांगी, सदस्य की सामान्य प्रशासन विभाग के दिशा-निर्द्देशों के विपरीत पदस्थापना होने,
(8) इजी.प्रदीप लारिया, सदस्य की मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल द्वारा अनाप-शनाप बिल वितरण होने,
(9) श्री बाबूलाल गौर, सदस्य की भेल द्वारा निर्माण कार्यो की अनापत्ति न दी जाने,
(10) श्री इन्दर सिंह परमार, सदस्य की शाजापुर जिले के ग्राम ढाबलाघोसी में हाईस्कूल में भवन का अभाव होने,
(11) श्री मुरलीधर पाटीदार, सदस्य की विधानसभा क्षेत्र सुसनेर में डूब क्षेत्र की भूमि का सही आंकलन किए जाने,
(12) श्री कमलेश्वर पटेल, सदस्य की तहसील देवसर के ग्राम जियावन में शासकीय भूमि पर अतिक्रमण होने,

(13) डॉ. रामकिशोर दोगने, सदस्य की राजधानी परियोजना भोपाल द्वारा बैरागढ़ चिचली से मिसरोद रोड का निर्माण शासन की स्वीकृति के अभाव में रोके जाने,
(14) श्री उमादेवी लालचंद खटीक, सदस्य की दमोह जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण न किये जाने,
(15) श्री मानवेन्द्र सिंह, सदस्य की जिला छतरपुर के चिकित्सालय में अनियमितताएं होने,
(16) श्री जितेन्द्र गहलोत, सदस्य की आलोट विधानसभा के शासकीय अस्पताल में स्टाफ रिक्त होने,
(17) श्री मधु भगत, सदस्य की परसवाड़ा में नवीन महाविद्यालय प्रारंभ किये जाने,
(18) श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य की एक सेवा निवृत्त कर्माचारी के स्वत्वों का भुगतान करने,
(19) श्री नीलेश अवस्थी, सदस्य की ग्राम कापा, तहसील मझौली के शाला भवन के आसपास शासकीय भूमि पर अतिक्रमण होने,
(20) श्री उमंग सिंघार, सदस्य की विधानसभा क्षेत्र गंधवानी में सांप्रदायिक हिंसा होने,
(21) श्रीमती झूमा सोलंकी, सदस्य की खरगौन स्थित महाविद्यालय के छात्रों को छात्रवृत्ति न मिलने,
(22) श्री कालूसिंह ठाकुर, सदस्य की धार जिले में छात्र-छात्राओं को सायकिल उपलब्ध न कराये जाने,
(23) श्री कैलाश चावला, सदस्य की उज्जैन संभाग में मनरेगा योजना के कार्य व्यवस्थित किए जाने,
(24) श्री रामनिवास रावत, सदस्य की ग्वालियर जिले के पुलिस थाना मोहना के प्रभारी द्वारा अभद्र व्यवहार करने,
(25) श्री हितेन्द्र सिंह ध्यानसिंह सोलंकी, सदस्य की बड़वाह क्षेत्र के सनावद-ढकलगांव भीकनगांव मार्ग का निर्माण किये जाने,
(26) श्रीमती सरस्वती सिंह, सदस्य की सिंगरौली जिले के चितरंगी क्षेत्र में विद्युतीकरण कार्य न किये जाने,
(27) श्री दिनेश राय, सदस्य की सिवनी में मनरेगा भुगतान अभी तक लंबित होने,
(28) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा, सदस्य की मुंगावली तहसील के मरियाखेड़ा कुकरेटा विद्युत केन्द्र पर बिजली न होने,
(29) कुंवर विक्रम सिंह, सदस्य की राजनगर विधानसभा क्षेत्र में राजनगर से डहर्रा तक सड़क खराब होने,
(30) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को, सदस्य की भोपाल में जल संसाधन विभाग के दिव्यांग कोटे के अधिकारी/कर्मचारी को फील्ड कार्य में लगाये जाने,
(31) श्रीमती शीला त्यागी, सदस्य की रीवा, शहडोल, जबलपुर व भोपाल में मांझी जनजाति के प्रमाण पत्र दिलाने,
(32) डॉ. मोहन यादव, सदस्य की उज्जैन जिले में सिंहस्थ मेला क्षेत्र का अनावश्यक विस्तार करने,
(33) श्री आशीष गोविन्द शर्मा, सदस्य की ग्राम मिसरोद, भोपाल में नजूल भूमि पर अतिक्रमण करने,
(34) श्री घनश्याम पिरोनिया, सदस्य की भाण्डेर नगर में मानस भवन का निर्माण किये जाने,
(35) श्री पुष्पेन्द्रनाथ पाठक, सदस्य की छतरपुर जिला चिकित्सालय द्वारा ब्लड बैंक जांच के नाम पर फीस लिए जाने तथा
(36) श्री ओमकार सिंह मरकाम, सदस्य की मण्डला जिले के कुसमी मानपुर में विद्यालय की छत गिरने से छात्र की मौत होने, संबंधी सदस्यों की नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं.

4. बहिर्गमन

श्री बाला बच्चन, प्रभारी नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में इण्डियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण द्वारा कुपोषण के संबंध में नियम 139 के अधीन चर्चा नहीं कराये जाने के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया.

5. शून्यकाल में उल्लेख

विदिशा जिले में हुई साम्प्रदायिक घटना की ज्युडीशियल इन्क्वायरी कराई जाना

श्री आरिफ अकील, सदस्य द्वारा यह विषय उठाया गया कि – विदिशा जिले में पिछले दिनों हुई साम्प्रदायिक घटना की ज्युडीशियल इन्क्वायरी कराने के लिए उनके द्वारा दिये गये ध्यानाकर्षण पर चर्चा कराने हेतु अध्यक्ष महोदय से अनुरोध किया गया.

6. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री ने दि प्रोविडेंट इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड का 87 वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2013-14 पटल पर रखा.

(2) सुश्री कुसुम सिंह महदेले, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री ने मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित का द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2013-14 एवं तृतीय वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2014-15 पटल पर रखे.

7. ध्यानाकर्षण

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से नियम 138 (3) को शिथिल कर आज की कार्यसूची में उल्लेखित 23 ध्यानाकर्षण सूचनाओं में से प्रथम 4 ध्यानाकर्षण सूचनाओं को चर्चा में लिए जाने एवं शेष पढ़ी हुई मानी जाने सम्बन्धी घोषणा की गई. तदुपरांत निम्नानुसार सूचनाएं चर्चा हेतु ली गई :

(1) श्री कमलेश्वर पटेल, सदस्य ने सीधी एवं सिंगरौली जिले में गरीबी रेखा के हितग्राहियों के नाम काटे जाने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया. श्री गोपाल भार्गव, मंत्री ने वक्तव्य दिया.

8. बहिर्गमन

श्री कमलेश्वर पटेल, सदस्य द्वारा शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया गया.

9. स्वागत उल्लेख

अध्यक्ष महोदय द्वारा अध्यक्षीय दीर्घा में श्री महेश आर्य, सदस्य उत्तरप्रदेश विधान परिषद की उपस्थिति पर सदन की ओर से स्वागत उल्लेख किया गया.

10. ध्यानाकर्षण (क्रमश:)

(2) श्री जितू पटवारी, सदस्य ने मध्यप्रदेश पश्चिम विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा दर वृद्धि हेतु प्रस्ताव किये जाने की ओर ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया. श्री पारसचन्द्र जैन, मंत्री ने वक्तव्य दिया.

(3) श्री पुष्पेन्द्रनाथ पाठक, सदस्य ने छतरपुर जिले के नौगांव में निर्माणाधीन छात्रावास का कार्य पूर्ण न होने से उत्पन्न स्थिति की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया. कुंवर विजय शाह, मंत्री ने वक्तव्य दिया.

(4) श्रीमती झूमा सोलंकी, सदस्य ने खरगौन जिले में सिकलसेल नामक बीमारी का प्रकोप होने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया. श्री रूस्तम सिंह, मंत्री ने वक्तव्य दिया.

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, कार्यसूची के पद 3 के उपपद (5) से (23) तक के सदस्यगण की निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचनाएं तथा उन पर संबंधित मंत्रीगण द्वारा वक्तव्य पढ़े हुए माने गए –

(5) सुश्री हिना लिखीराम कांवरे, सदस्य की प्रदेश में व्यावसायिक परीक्षा पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होने संबंधी शर्त के कारण अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरण लंबित होने संबंधी सूचना तथा स्कूल शिक्षा मंत्री का वक्तव्य.

(6) श्री रमेश मैन्दोला, सदस्य की इंदौर में प्रोजेक्ट उदय के तहत बनी टंकियों से पानी का वितरण न किये जाने संबंधी सूचना तथा नगरीय विकास एवं आवास मंत्री का वक्तव्य.

(7) श्रीमती पारूल साहू केशरी, सदस्य की सागर जिले के सुरखी क्षेत्र में पुल निर्माण में वैकल्पिक मार्ग न होने से दुर्घटनाएं होने संबंधी सूचना तथा लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य.

(8) श्री मधु भगत, सदस्य की बालाघाट जिले के सातनारी जलाशय की स्वीकृति न दिये जाने संबंधी सूचना तथा जल संसाधन मंत्री का वक्तव्य.

(9) श्री हितेन्द्र सिंह ध्यानसिंह सोलंकी, सदस्य की भोपाल सहकारी दुग्ध संघ में अनियमितताएं किये जाने संबंधी सूचना तथा पशुपालन मंत्री का वक्तव्य.

(10) श्री कैलाश चावला, सदस्य की नीमच जिले के रामपुरा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में स्टाफ की कमी होने संबंधी सूचना तथा तकनीकी शिक्षा मंत्री का वक्तव्य.

(11) श्री रमेश मैन्दोला, सदस्य की इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा हस्तांतरित आवासीय कालोनी में विकास कार्य पूर्ण न किये जाने संबंधी सूचना तथा नगरीय विकास एवं आवास मंत्री का वक्तव्य.

(12) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य की छतरपुर जिले के गोरा जलाशय मछुआरों को मछली पालन हेतु न दिये जाने संबंधी सूचना तथा मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास मंत्री का वक्तव्य.

(13) श्री सुन्दरलाल तिवारी, सदस्य की रीवा जिले के गुढ में निर्माणाधीन स्टेडियम का कार्य पूर्ण न होने संबंधी सूचना तथा उच्च शिक्षा मंत्री का वक्तव्य.

(14) डॉ. गोविन्द सिंह तथा श्री के.पी. सिंह, सदस्यगण की भिण्ड जिले के मालनपुर स्थित सूर्या रोशनी उद्योग में महिलाओं का शोषण किये जाने संबंधी सूचना तथा श्रम मंत्री का वक्तव्य.

(15) श्री कमलेश्वर पटेल, सदस्य की सीधी एवं सिंगरौली जिले में बिगड़े विद्युत ट्रांसफार्मर न बदले जाने संबंधी सूचना तथा ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य.

(16) श्री जालम सिंह पटेल, सदस्य की नरसिंहपुर जिले के बचई स्थित महाकौशल शुगर मिल द्वारा अनियमितता किये जाने संबंधी सूचना तथा किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री का वक्तव्य.

(17) श्री दिलीप सिंह शेखावत, सदस्य की नागदा क्षेत्र में स्टाप डेम का निर्माण न किये जाने की ओर जल संसाधन मंत्री का वक्तव्य.

(18) श्री रामप्यारे कुलस्ते, सदस्य की मंडला जिले के ग्राम विजयपुर के बैगा आदिवासियों को सरकार की योजना का लाभ न दिये जाने संबंधी सूचना तथा आदिम जाति कल्याण मंत्री का वक्तव्य.

(19) श्री के. पी. सिंह, सदस्य की दतिया जिले के राजघाट नहर का निर्माण मानक स्तर का न होने संबंधी सूचना तथा जल संसाधन मंत्री का वक्तव्य.

(20) श्री सुन्दरलाल तिवारी, सदस्य की रीवा जिले के ग्राम बांधी में नाबालिग बालिका के साथ बलात्कार कर हत्या किये जाने संबंधी सूचना तथा गृह मंत्री का वक्तव्य.

(21) पंडित रमेश दुबे, सदस्य की इटारसी नगर स्थित नजूल की भूमि पर काबिज लोगों से लीज रेंट न लिये जाने संबंधी सूचना तथा राजस्व मंत्री का वक्तव्य.

(22) डॉ. मोहन यादव, सदस्य की सिंहस्थ के दौरान अपूर्ण कार्यो को पूर्ण न किये जाने संबंधी सूचना तथा लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य.

(23) श्री जितू पटवारी, सदस्य की इंदौर स्थित स्वदेशी मिल की जमीन को कम कीमत पर बेचे जाने संबंधी सूचना तथा नगरीय विकास एवं आवास मंत्री का वक्तव्य.

11. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय, सभापति ने शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति का बीसवां, इक्कीसवां, बाईसवां एवं तेईसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया तथा समिति के कार्यों में सक्रिय सहयोग हेतु माननीय सदस्यों व अधिकारी-कर्मचारियों के प्रति आभार व्यक्त किया.

(2) श्री केदारनाथ शुक्ल, सभापति ने कृषि विकास समिति का प्रथम एवं द्वितीय प्रतिवेदन प्रस्तुत किया तथा उसमें समिति द्वारा प्रदेश में कृषि विकास हेतु दिए गए उपयोगी सुझावों को पढ़ने हेतु माननीय सदस्यों से अनुरोध किया.

12. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, दैनिक कार्यसूची में उल्लिखित सदस्यों द्वारा याचिकाएं पढ़ी हुई मानी गईं :-

(1) श्री रामपाल सिंह (जिला-शहडोल)
(2) श्री कैलाश चावला (जिला-नीमच)
(3) श्री कालूसिंह ठाकुर (जिला-धार)
(4) श्री शैलेन्द्र जैन (जिला-सागर)
(5) श्री दिलीप सिंह परिहार (जिला-नीमच)
(6) श्री जितेन्द्र गेहलोत (जिला-रतलाम)
(7) श्रीमती झूमा सोलंकी (जिला-खरगोन)
(8) श्री सुन्दरलाल तिवारी (जिला-रीवा)
(9) श्री जालम सिंह पटेल (जिला-नरसिंहपुर)
(10) श्री कुँवरजी कोठार (जिला-राजगढ़)
(11) श्री सुशील कुमार तिवारी (जिला-जबलपुर)
(12) श्री रामेश्वर शर्मा (जिला-भोपाल)
(13) श्री हरदीप सिंह डंग (जिला-मन्दसौर)
(14) श्री घनश्याम पिरौनियॉ (जिला-दतिया)
(15) श्री गोविन्द सिंह पटेल (जिला-नरसिंहपुर)
(16) श्री मनोज कुमार अग्रवाल (जिला-अनूपपुर)
(17) श्री संजय शर्मा (जिला-नरसिंहपुर)
(18) श्री अमर सिंह यादव (जिला-राजगढ़)
(19) श्री मधु भगत (जिला-बालाघाट)
(20) श्रीमती चन्दा सुरेन्द्र सिंह गौर (जिला-टीकमगढ़)
(21) कुँवर विक्रम सिंह (जिला-छतरपुर)
(22) श्री देवेन्द्र वर्मा (जिला-खण्डवा)
(23) श्री मानवेन्द्र सिंह (जिला-छतरपुर)
(24) श्री पन्नालाल शाक्य (जिला-गुना)
(25) श्री नीलेश अवस्थी (जिला-जबलपुर))
(26) श्री दिनेश राय (जिला-सिवनी)
(27) श्री आशीष गोविन्द शर्मा (जिला-देवास)
(28) श्री सोहनलाल बाल्मीक (जिला-छिंदवाड़ा)
(29) श्रीमती उमादेवी लालचंद खटीक (जिला-दमोह)
(30) श्री महेश राय (जिला-सागर)
(31) श्री दुर्गालाल विजय (जिला-श्योपुर)
(32) श्री नारायण सिंह पंवार (जिला-राजगढ़)
(33) श्रीमती ममता मीना (जिला-गुना)
(34) श्री पुष्पेन्द्रनाथ पाठक (जिला-छतरपुर)

(35) श्री दिव्यराज सिंह (जिला-रीवा)
(36) श्री मुरलीधर पाटीदार (जिला-शाजापुर)
(37) डॉ. मोहन यादव (जिला-उज्जैन)
(38) श्रीमती सरस्वती सिंह (जिला-सिंगरौली)
(39) श्री सुखेन्द्र सिंह (जिला-रीवा)
(40) इंजी. प्रदीप लारिया (जिला-सागर)
(41) श्री हितेन्द्र सिंह ध्यानसिंह सोलंकी (जिला-खरगोन)
(42) श्री प्रदीप अग्रवाल (जिला-दतिया)
(43) श्री हर्ष यादव (जिला-सागर)
(44) श्री दीवान सिंह पटेल (जिला-बड़वानी)
(45) श्री निशंक कुमार जैन (जिला-विदिशा)
(46) श्री सुरेन्द्र सिंह बघेल (जिला-धार)
(47) श्रीमती शीला त्यागी (जिला-रीवा)
(48) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को (जिला-अनूपपुर)
(49) श्री जयवर्द्धन सिंह (जिला-गुना)
(50) श्री आरिफ अकील (जिला-भोपाल)

13. विशेषाधिकार समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में वृद्धि का प्रस्ताव

श्री जगदीश देवड़ा, सभापति, विशेषाधिकार समिति ने मध्यप्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य-संचालन संबंधी नियमावली के नियम-228 के अंतर्गत प्रस्ताव किया कि –

जिला इन्दौर के अंतर्गत मानपुर-लेबड़ मार्ग में वालेचा एल.एम. टोल प्राइवेट लिमिटेड के टोला प्लाजा नाके के कर्मचारियों तथा थाना प्रभारी, मानपुर के विरूद्ध श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल, सदस्य, विधान सभा के साथ अपमानजनक व्यवहार एवं जनप्रतिनिधित्व कार्य में बाधा उत्पन्न करने के संबंध में श्री सचिन सुभाषचन्द्र यादव, सदस्य, विधान सभा की विशेषाधिकार समिति को संदर्भित विशेषाधिकार भंग की सूचना पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक की वृद्धि की जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

14. शासकीय वक्तव्य

श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री ने नर्मदा नदी को प्रदूषण मुक्त कर संरक्षित करने के उद्देश्य से की जा रही सेवा यात्रा के संबंध में वक्तव्य दिया.

श्री तरूण भनोत, सदस्य, श्री बाला बच्चन, प्रभारी नेता प्रतिपक्ष एवं श्री रामनिवास रावत, सदस्य ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की. अंत में मुख्यमंत्री महोदय ने वक्तव्य एवं प्रतिक्रिया संबंधी विचार व्यक्त किए.

15. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री भूपेन्द्र सिंह, परिवहन मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 32 सन् 2016) पर विचार किया जाए.

16. अध्यक्षीय व्यवस्था

संशोधन विधेयक की प्रतियां पुर:स्थापन के पूर्व सदस्यों को उपलब्ध कराई जाना

श्री सुन्दरलाल तिवारी, सदस्य द्वारा औचित्य का प्रश्न उठाया कि - मध्यप्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 65 के अनुसार संशोधन विधेयक पेश करने के 2 दिन पहले विधेयक की प्रतियां माननीय सदस्यों को वितरित होने एवं 7 दिन पहले विधान सभा सचिवालय में सूचना देना आवश्यक है. जबकि इस नियम का पालन श्री भूपेन्द्र सिंह, परिवहन मंत्री ने नहीं किया है. इसलिए समय पर जानकारी न मिलने के कारण हम लोग इस विधेयक पर बगैर पढ़े क्या चर्चा करें.

अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यवस्था दी कि – विधेयोकों की प्रतियां 7.12.2016 को (2 दिन पहले) माननीय सदस्यों को वितरित कर, जानकारी उपलब्ध करा दी गई थी और कल 8.12.2016 को पुर:स्थापित किया गया. पूर्व में भी अनेक अवसरों पर अध्यक्ष द्वारा नियम को शिथिल करके विधेयक को पुर:स्थापित कराके विचार का प्रस्ताव स्वीकार किया गया है. नियम 65 के उपनियम (2) में यह लिखा है कि – "ऐसे प्रस्ताव की दिशा में जो अधिक से अधिक 7 दिन के अन्तर्वर्ती – अवकाश के बाद सत्र के प्रथम दिन किया गया हो, ऐसे अवकाश के ठीक पहले दिन को उपलब्ध न कर दी गई हो, तो कोई सदस्य ऐसे किसी प्रस्ताव के लिए जाने पर आपत्ति कर सकेगा या और यदि अध्यक्ष इस नियम को निलंबित करने की अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए प्रस्ताव के किये जाने की अनुमति न दे दे, तो ऐसी आपत्ति अभिभावी होगी." मैंने निलंबित कर दिया है और प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति दे दी है.

(अपराह्न 1.30 बजे से 3.06 बजे तक अन्तराल)

उपाध्यक्ष महोदय (डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुए.

17. अध्यक्षीय घोषणा

शुक्रवार की बैठक के अंतिम ढाई घंटे अशासकीय कार्य के लिए नियत होना

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से घोषणा की गई कि मध्यप्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 23 के अनुसार शुक्रवार की बैठक के अंतिम ढाई घण्टे अशासकीय कार्य के लिए नियत है. आज की कार्यसूची के पद 7 का कार्य पूर्ण होने के बाद ढाई घंटे का समय अशासकीय कार्य के लिए रहेगा.

18. अध्यक्षीय व्यवस्था (क्रमश:)

संशोधन विधेयक की प्रतियां पुर:स्थापन के पूर्व सदस्यों को उपलब्ध कराई जाने सम्बन्धी औचित्य प्रश्न विषयक

उपाध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी कि श्री सुन्दरलाल तिवारी, सदस्य द्वारा आज की कार्यसूची में उल्लेखित मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक पर चर्चा प्रारंभ होने के पूर्व नियम 65 का उल्लेख करते हुए यह व्यवस्था का प्रश्न उठाया था कि - नियम-65 (ग) (1) में उल्लेख के अनुसार विधेयक की प्रतियां 2 दिन पूर्व माननीय विधायकों को उपलब्ध नहीं कराई गई हैं तथा विधेयक की सूचना 7 दिन पूर्व भारसाधक मंत्री से विधान सभा सचिवालय में प्राप्त नहीं हुई हैं.

इस संबंध में मेरे द्वारा अभिलेख का अनुशीलन किया गया तथा यह पाया कि जो विधेयक आज की कार्यसूची में शामिल हुआ उसकी प्रतियां 7.12.2016 को माननीय सदस्यों को वितरित की गईं थी. तदुपरांत, विधेयक सदन में कल 8.12.2016 को पुर:स्थापित किये गये. तत्समय किसी भी माननीय सदस्य ने यह आपत्ति नहीं उठाई. इससे भी स्पष्ट है कि माननीय सदस्यों को पुर:स्थापन के पूर्व विधेयकों की प्रतियां उपलब्ध हो गई थीं. कतिपय सदस्यों द्वारा यह भी उल्लेख किया गया है कि विधेयक की सूचना 7 दिन पूर्व विधान सभा सचिवालय में प्राप्त नहीं हुई थीं इस संबंध में मेरे द्वारा संबंधित नियम को शिथिल किया गया है. परन्तु नियम-65 के अंतर्गत विधेयकों की प्रतियां माननीय विधायकों को 2 दिन पूर्व वितरित किये जाने की स्थिति स्पष्ट किये जाने के बावजूद श्री तिवारी द्वारा नियमावली को फाडे जाने तथा आसंदी से व्यवस्था देने के बाद भी अपने स्थान पर न बैठकर जो व्यवहार सदन में किया गया वह पूर्णत: अनुचित था. माननीय सदस्य से अपेक्षा है कि भविष्य में संसदीय आचरण का पालन करेंगे.

19. शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमश:)

(1) मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 32 सन् 2016) पर विचार के प्रस्ताव पर चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री शैलेन्द्र पटेल
(2) श्री शैलेन्द्र जैन
(3) श्री रामनिवास रावत
(4) श्री वीर सिंह पंवार
(5) श्री जसवंत सिंह हाड़ा
(6) श्री बाला बच्चन, प्रभारी नेता प्रतिपक्ष
(7) श्री पुष्पेन्द्रनाथ पाठक
(8) श्री सुन्दरलाल तिवारी
(9) श्री जितू पटवारी

श्री भूपेन्द्र सिंह, परिवहन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

श्री भूपेन्द्र सिंह ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 32 सन् 2016) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

(2) श्री रुस्तम सिंह, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा आयुष मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 27 सन् 2016) पर विचार किया जाए.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री शैलेन्द्र पटेल
(2) श्री दुर्गालाल विजय

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

(3) श्री रामनिवास रावत
(4) श्री बाला बच्चन, प्रभारी नेता प्रतिपक्ष

श्री रुस्तम सिंह ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

श्री रुस्तम सिंह ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 27 सन् 2016) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

(3) श्री शरद जैन, राज्यमंत्री चिकित्सा शिक्षा ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 28 सन् 2016) पर विचार किया जाए.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-
(1) श्री रामनिवास रावत
(2) श्री बाला बच्चन, प्रभारी नेता प्रतिपक्ष

श्री शरद जैन ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

श्री शरद जैन ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 28 सन् 2016) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

(4) श्री जयभान सिंह पवैया, उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) तृतीय संशोधन विधेयक, 2016 (क्रमांक 29 सन् 2016) पर विचार किया जाए.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-
(1) श्री रामनिवास रावत
(2) श्री जसवंत सिंह हाड़ा
(3) श्री के.के. श्रीवास्तव
(4) श्री बाला बच्चन, प्रभारी नेता प्रतिपक्ष

श्री जयभान सिंह पवैया ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

श्री जयभान सिंह पवैया ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) तृतीय संशोधन विधेयक, 2016 (क्रमांक 29 सन् 2016) पारित किया जाए.

प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

(5) श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश उपकर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 31 सन् 2016) पर विचार किया जाए.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-
(1) श्री रामनिवास रावत
(2) श्री बाला बच्चन, प्रभारी नेता प्रतिपक्ष

20. अध्यक्षीय घोषणा

सदन के समय में वृद्धि विषयक

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से घोषणा की गई कि आज की कार्यसूची में उल्लिखित कार्य पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की जाये.

21. शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमश:)

श्री जयंत मलैया ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

श्री जयंत मलैया ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश उपकर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 31 सन् 2016) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

22. अध्यक्षीय घोषणा

विषयों की एकरूपता को दृष्टिगत रखकर अशासकीय संकल्पों पर एकजाई चर्चा करने विषयक

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से घोषणा की गई कि विधान सभा नियमावली के नियम 27 (4) के अनुसार एक दिन की बैठक हेतु 5 से अनाधिक अशासकीय संकल्प कार्यसूची में सम्मिलित किये जाने का उल्लेख है. परन्तु विषयों की एकरूपता को देखते हुए सदन की अनुमति की प्रत्याशा में आज की कार्यसूची में रेलवे संबंधी अशासकीय संकल्पों की एकजाई कर सम्मिलित किया गया है. परिवहन विभाग से संबंधित 6 संकल्पों को संबंधित माननीय सदस्यों द्वारा एक-एक कर प्रस्तुत किया जायेगा और तदुपरांत प्रस्तुत संकल्पों पर एक साथ चर्चा होगी. यही प्रक्रिया शेष संकल्पों हेतु रहेगी.

23. अशासकीय संकल्प

(1) श्री दिनेश राय, सदस्य ने निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया कि -

"सदन का यह मत है कि बिजली की अपहुंच वाले क्षेत्रों में ग्राम पंचायत भवन एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों को क्रमश: सौर ऊर्जाकृत किया जाए.". तथा संक्षिप्त भाषण दिया.

श्री पारसचन्द्र जैन, ऊर्जा मंत्री ने उत्तर दिया.

संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ.

(2) श्री आशीष गोविन्द शर्मा, सदस्य ने निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया कि -

"यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि देवास जिले की खातेगांव विधानसभा क्षेत्र में निवासरत ढोली (बैंड बजाने वाले) एवं घट्टीया (पत्थर के सिलबट्टे बनाने वाले) समाज को अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित किया जाए.". तथा संक्षिप्त भाषण दिया.

श्री लाल सिंह आर्य, राज्यमंत्री सामान्य प्रशासन ने उत्तर दिया.

सदन की सहमति से संकल्प वापस हुआ.

(3) श्री जालम सिंह पटेल, सदस्य ने निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया कि -

"यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि मध्यप्रदेश के नरसिंहपुर जिले में मुडिया जाति को अनुसूचित जनजाति के समान मिलने वाली अन्य सभी सुविधायें प्रदान की जाएं.". तथा संक्षिप्त भाषण दिया.

श्री लाल सिंह आर्य, राज्यमंत्री सामान्य प्रशासन ने उत्तर दिया.

संकल्प वापस हुआ.

(4) श्री सुदेश राय की ओर से श्री दिनेश राय, श्री जितेन्द्र गेहलोत, श्रीमती सरस्वती सिंह, श्री दिलीप सिंह शेखावत एवं श्री के.के.श्रीवास्तव, सदस्यगण द्वारा निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किये गए कि -

"यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि –

(1) बलसाड़ से होकर पुरी को जाने वाली ट्रेन क्रमांक 22909/22910 का स्टापेज सीहोर स्टेशन पर किया जाए तथा भोपाल से यात्रियों को आरक्षण कोटा दिया जाए,

(2) जम्मूतवी यात्री गाड़ी क्रमांक 12477/12478 एवं 12475/12476 का दो मिनिट का स्टापेज विक्रमगढ़ आलोट स्टेशन पर किया जाए,

(3) सिंगरौली से चितरंगी रेल लाईन का विस्तार किया जाए,

(4) प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र नागदा में निवासरत परिवारों के आवागमन के लिये गाड़ी क्रमांक 15667,19053,19061 तथा 19021 एवं गाड़ी क्रमांक 15108 छपरा-मथुरा व 12183 भोपाल- प्रतापगढ़ का संचालन नागदा तक किया जाए, तथा

(5) (i) खजुराहो से इन्दौर (वाया छतरपुर-टीकमगढ़-भोपाल) (ii) खजुराहो से नागपुर (वाया टीकमगढ़-बीना-भोपाल) (iii) भोपाल से लखनऊ (वाया ललितपुर-टीकमगढ़-खजुराहो-महोबा) नई ट्रेन चलाई जाये तथा (iv) तुलसी एक्सप्रेस ट्रेन सप्ताह में 03 दिन खजुराहो-छतरपुर एवं टीकमगढ़ होकर चलाई जाए.".

(अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति ली गई. सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई.)

एकजाई संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुए.

24. सत्र का समापन

अध्यक्ष महोदय द्वारा सत्र समापन के अवसर पर निम्नानुसार उदगार व्यक्त किए गए –

"मध्यप्रदेश की चतुर्दश विधान सभा का शीतकालीन सत्र अब समाप्ति की ओर है। इस 5 दिवसीय सत्र में 5 बैठकें हुईं, जिसमें विधायी, वित्तीय तथा लोक महत्व के अनेक कार्य सम्पन्न हुए.

सदन ने वर्ष, 2016-17 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान को चर्चा उपरांत अपनी स्वीकृति प्रदान की। वहीं 9 शासकीय विधेयक भी पारित किये गये.

इस सत्र में कुल 2076 प्रश्न प्राप्त हुए, जिनमें 1069 तारांकित तथा 1007 अतारांकित प्रश्न थे। ध्यानाकर्षण की कुल 370 सूचनाएं प्राप्त हुईं। सदन में सभा समितियों के 40 प्रतिवेदन भी प्रस्तुत हुए और 26 अशासकीय संकल्प की सूचनाएं प्राप्त हुईं, जिनमें से 9 संकल्पों (4 समामेलित) पर चर्चा की गई।

सदन में नियम 139 के अधीन ग्वालियर चंबल संभाग में नदियों से मिट्टी कटाव के कारण कृषि भूमि का रकबा घटने एवं गाँवों के अपने मूल स्थान से विस्थापित होने के संबंध में अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर एवं स्थगन प्रस्ताव को प्रतिपक्ष की मांग पर माननीय मुख्यमंत्री द्वारा सहृदयता पूर्वक चर्चा हेतु सहमति देने के कारण इसके तहत् प्रदेश हित के विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। सदन ने अधिक समय तक बैठकर कार्य निपटाया, जिससे यह छोटा सत्र भी काफी प्रभावी रहा।

इस सत्र में कई नवाचार हुए, जिनका उल्लेख मैं करना चाहूँगा। विगत सत्र में माननीय सदस्यों द्वारा जहां दस प्रतिशत प्रश्न ऑनलाइन भेजे गये थे, वहीं इस सत्र में पच्चीस प्रतिशत् प्रश्न ऑनलाइन भेजे। इस सत्र में प्रायोगिक तौर पर विभागों को ध्यानाकर्षण सूचनाएं और उनके उत्तर ऑफलाइन के साथ ही ऑनलाइन भेजने की व्यवस्था की गई। विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली और स्थायी आदेश के संशोधित एवं परिवर्धित संस्करण को नए कलेवर में मुद्रित कराया गया। लगभग साठ वर्ष के बाद माननीय सदस्यों की सुविधा के लिए प्रश्नोत्तरी के स्वरूप में परिवर्तन हुआ और अब इसके प्रारम्भ में अनुक्रमणिका देकर तथा चर्चा हेतु नियत प्रश्नों में माननीय सदस्यों के नाम व विभागों को एकजाई अंकित करने के साथ सदस्यवार तारांकित, परिवर्तित तारांकित एवं अतारांकित प्रश्नों का विवरण देकर इसे और अधिक उपयोगी बनाया गया है। अनेक माननीय सदस्यों ने इसकी भूरि-भूरि प्रशंसा की है।

जनता के प्रतिनिधि लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर अपने संसदीय, विधायी और संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करते हैं। इस व्यवस्था के प्रति न केवल हमारी पूर्ण निष्ठा होनी चाहिए बल्कि वह परिलक्षित भी होनी चाहिए क्योंकि इससे बेहतर कोई और प्रणाली नहीं है। संसदीय लोकतंत्र में पक्ष-विपक्ष महत्वपूर्ण घटक होते हैं, जो इस व्यवस्था को संचालित करते हैं। सदन में कभी-कभी उत्तेजना के क्षण भी आते हैं, किन्तु परस्पर सामंजस्य से कुछ देर बाद वातारण समरस हो जाता है। लोकतंत्र की यही विशेषता है कि इन क्षणों में भी मनभेद नहीं होता है। पक्ष-विपक्ष में उनमें दलीय प्रतिबद्धताओं के कारण वैचारिक सहमति-असहमति होना स्वाभाविक है, लेकिन हमारा लक्ष्य यही है कि लोकतंत्र समृद्ध हो और संसदीय कार्य प्रणाली से प्रदेश और उसकी जनता की प्रगति और उन्नति हो।

इस सत्र के सुचारू संचालन के लिए मैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय प्रभारी नेता प्रतिपक्ष, मुख्य सचेतक कांग्रेस पक्ष, सभी माननीय मंत्रीगणों और विशेष रूप से संसदीय कार्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिनकी सदन में निरंतर उपस्थिति रहती है और वे अपनी विद्वता तथा संसदीय ज्ञान से सदन की कार्यवाही को सुचारू बनाने में सहयोग करते हैं। इसके साथ ही मैं, बसपा विधायक दल के नेता, सभापति तालिका के माननीय सदस्यों, सभी माननीय सदस्यों, मीडिया के मित्रों, शासन तथा विधान सभा सचिवालय के अधिकारियों/ कर्मचारियों और सुरक्षाकर्मियों को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ।

मैं अपनी एवं पूरे सदन की ओर से प्रदेशवासियों को गुरूनानक जयंती, क्रिसमस और नववर्ष की बधाई देते हुए, उनकी सुख-समृद्धि की कामना करता हूँ। अगले सत्र में हम सब ऐसे ही सुखद माहौल में पुन: समवेत होंगे, इस अपेक्षा के साथ आप सबको पुन: धन्यवाद. ”

डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री, श्री बाला बच्चन, प्रभारी नेता प्रतिपक्ष एवं डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह, उपाध्यक्ष महोदय ने भी समापन अवसर पर अपने विचार व्यक्त किये.

25. राष्ट्रगान “जन गण मन” का समूहगान

सदन में माननीय सदस्यगण द्वारा खड़े होकर राष्ट्रगान "जन-गण-मन" का समूह गान किया गया.

26. सदन की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया जाना

अध्यक्ष महोदय द्वारा अपराह्न 6.33 बजे विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई.

अवधेश प्रताप सिंह,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल:
दिनांक: 9 दिसम्बर, 2016